



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-150/2010 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द पुत्र गोकुल लोधी निवासी ग्राम-कैथा थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी सुशील  
कुमार त्रिपाठी



विवेचक- उ0नि0  
आर0एस0एस0  
तिवारी



पैरोकार- थाना  
चिकासी  
का0 विजय सिंह